सरकार

न्यायालय तहसीलदार नवलगढ़ जिला झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी – कपिल कुमार (आर.टी.एस.) प्रकरण संख्या : 01/2012

अन्तर्गत धारा 90 क सपठित धारा 91 राजस्थान भू–राज. अधिनियम 1956
सरकार बनाम श्री गोरूराम, रतनाराम, नागरमल पिता लिछमण कौम जाट निवासी चारा का बास जिला झुन्झुनू।

–: निर्णय :– दिनांक: 20.02.2020

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी उपस्थित । संक्षेप में प्रकरण का विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का, परसरामपुरा कि रिपोर्ट अनुसार ग्राम चारा का बास स्थित भूमि खसरा 3330 रकबा 3.00 हैक्टर एवं खसरा न. 3342 रकबा 0.10 है. किता 2 कुल रकबा 3.10 है किस्म बारानी प्रथम एवं द्वितीय की सयुक्त खातेदारी श्री गोरूराम, रतनाराम, नागरमल पिता लिछमण कौम जाट निवासी परसरामपुरा के नाम दर्ज रिकॉर्ड हैं। उक्त भूमि में सह खातेदार श्री गोरूराम पुत्र लिछमण जाति जाट निवासी परसरामपुरा द्वारा अपने हिस्से की भूमि खसरा नम्बर 3342 रकबा 0.10 है. सम्पूर्ण एवं खसरा नम्बर 3330 रकबा 0.93 है. की सम्पूर्ण भूमि पर बिना सक्षम अधिकारी की स्वीकृति बिना ही ईट भट्टा लगाकर कृषि भूमि को अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग में लिया जा रहा है जो कृषि भूमि को अकृषि प्रयोजनार्थ काम में ले लिया गया है। प्रकरण को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 क सपठित धारा 91 के तहत दर्ज कर अप्रार्थी को नोटिस जारी किये गये। सम्यक तामिल पश्चात अप्रार्थीगण अनुपस्थित रहें।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में दिनांक 26.07.2013 की कार्यवाही विवरण में रिपोर्ट पटवारी हल्का परसरामपुरा के अनुसार ग्राम चारा का बास स्थित भूमि खसरा नम्बर 3840/3330 रकबा 0.55 है. का ओधौगिक प्रयोजनार्थ भूमि संपरिवर्तन किया जाना बताया है। जिसके संबंध में पूनः गिरदावर हल्का 909 दिनांक 13.12.2019 के द्वारा वर्तमान मौका रिपोर्ट एवं नजरी नक्शा चाहा गया। जिसके अनुसार ग्राम चारा का बास के ख.न. 3330, 3342 की खातेदारी जमाबन्दी सम्बत 2066–2069 के खाता संख्या 58 के अनुसार तेजाराम, गोरूराम, रतनाराम, गुलाराम, नागरमल पुत्र लिछमण कोम जाट सादेह खातेदार दर्ज है। ख.न. 3330 रकबा 3.00, ख. न. 3342 रकबा 0.10 है. किस्म बारानी दर्ज है। खाता स. 58 में नामा सख्या 31 के द्वारा हक त्याग से गोरूराम, रतनाराम, नागरमल पुत्र लिछमण जाति जाट दर्ज हुआ। इसके पश्चात नामान्तरण सख्या 152 से ख.न. 3330, 3342 का खाता विभाजन हो चुका है। विभाजन के पश्चात खातेदार गोरूराम पुत्र लिछमणराम जाति जाट द्वारा भूमि जरिये दानपत्र के नामान्तरण स. 156 के अनुसार जयचन्द पुत्र गोरूराम जाति जाट के नाम से ख.न. 3840/3330 रकबा 0.55 बारानी II दर्ज हुआ। इसके पश्चात खातेदार जयचन्द पुत्र गोरूराम द्वारा ख.न. 3840/3330 रकबा 0.55 है का औधोगिक प्रयोजनार्थ भूमि रूपान्तरण करवा लिया है। जिसका नामान्तरण सख्या 171 के द्वारा जमाबन्दी 2066–69 के खाता में न. 58 पर लाल श्याही से अंकन किया गया है व विभाजन पश्चात शेष खसरा नम्बरों में बूवाई कि जाकर भूमि को कृषि उपयोग में लिया जा रहा है।

गिरदावर हल्का द्वारा प्राप्त रिपोर्ट, राजस्व रिकॉर्ड एवं नक्शा लट्ठा का अवलोकन किया गया जिसके अनुसार ख.न. 3840/3330 रकबा 0.55 किस्म औधागिक प्रयोजनार्थ दर्ज रिकॉर्ड है एवं मौके का अवलोकन पश्चात मौका रिपोर्ट में ईंट भट्टा वर्तमान में लगभग 2 वर्ष से बन्द पड़ा होने के कारण, मौके पर कच्ची ईट नही होने एवं विभाजन पश्चात शेष खसरा नम्बरों में बूवाई कि जाकर कृषि उपयोग में लेने के कारण उक्त प्रकरण में कृषि भूमि को अकृषि प्रयोजनार्थ काम में लेने की कार्यवाही किया जाना न्यायोचित प्रतित नहीं होता हैं। अतः पर कार्यालय में विचाराधीन प्रकरण मु0न0 01/2012 रा0ले0 रे0 एक्ट 1956 की धारा 90ए सपठित 91 पर कोई कार्यवाही किया जाना शेष नही रह जाता है। उक्त प्रकरण में कार्यवाही इसी स्तर पर ड्रोप की जाती है । पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद दाखील दप्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 20.02.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

तहसीलदार नवलगढ़